न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2025(GCMS 2025/396)
(RTI No. 212234147963947)

श्री पवन कुमार पुत्र श्री श्योपतराम गांव 6 एलएम–ए, 4 एलएम, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335001 **मोबाईल नम्बर : 96368–99118**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना दिनांक 16.09.2025 से लोक सूचना अधिकारी से तीन बिंदुओं की सूचना चाही थी, जिसे लोक सूचना अधिकारी ने प्रश्न वाचक अंकित करते हुए खारिज कर दी और उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी पवन कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक भर्ती 2025–26 कि इंटरव्यू, फिजिकल, स्पेशल कैटिगरी अंक सूची प्राप्त करवाएं।
2. अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया क्या थी।
3. फार्म संख्या 1769 की इंटरव्यू, फिजिकल व स्पेशल कैटिगरी कितने अंक प्राप्त किए।

लोक सूचना अधिकारी और उप नियंत्रक, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक ना.सु./गंगा/प्रशि/2025–26/2682–84 दिनांक 09.12.2025 से से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक 2272–73 दिनांक 06.10.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत [illegible] चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :
> बिन्दु संख्या –1 : –वांछित [illegible] का अभाव है, एवं प्रश्न वाचक है, अतः [illegible] दिया जाना संभव [illegible] है।
> बिन्दु संख्या –2 :– वंछित सूचना प्रश्नवाचक है,अतः दी जानी संभव नहीं है।
> बिन्दु संख्या –3 :– वंछित सूचना प्रश्नवाचक है,अतः दी जानी संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 88 / 2025
(GCMS No. 2025/396)
(RTI No. : 212234147963947)

लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं** को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित सूचना के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध करवा दवें तो उन्हें सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तामील कार्यालय दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर